

48

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.99** Hectare for the construction of **Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

dt:- 12/03/2015

District Collector Cum chairman
(युगल किशोर पन्त)
District Tehri Garhwal
New Tehri

FORM - I
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

Dated ... 12/03/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.99 hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department , Kirtiagar for Construction of Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of **Hondu Villages in Devprayag tehsils.**

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.99 hact.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure **23.2**
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(Yugal Kishore Pant)
District Collector
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Lostu Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road (1.650 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.99 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

राजेश्वरी जोशी
जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
जिला योजना समिति चिलेड़ी
बडियारगढ़ (टि० ग०)

Q. Q. Q. Q. Q.
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रती (टिहरी गढ़वाल)

Signature
(Yugal Kishor Pant)
(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
12-03-2015

प्रारूप -1.90,

भू-अर्जन प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- रिंगोली मल्ली
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल-हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भ: — 288/लो0नि0-2/04-15(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 27 फरवरी 2004

जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड-कीर्तिनगर के अन्तर्गत राज्य योजना से लोस्तु-घण्डियाल-हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लोस्तु-घण्डियाल-हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.99 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, (अर्थात् कुल-0.99 है0) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग-श्रीनगर, मुख्यालय-कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकि नाप भूमि है0 ग्राम पंचायत-रिंगोली तल्ली के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है। 6-4-95

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

ह0 / -
(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- लोस्तु-घण्डियाल-हैन्दू से रिगोली मोटर मार्ग,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोस्तु घण्डियाल-हैन्दू से रिगोली मोटर मार्ग
(— हे० आरक्षित वन भूमि, ०.११ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि — हे० वन पंचायत भूमि,
अर्थात् कुल ०.११ हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में
हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रग) की दिनांक 27/11/2015
को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <u>दीपेन्द्र सिंह नेगी</u>	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री <u>रजनीश सिंह दलपत</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री <u>मो. कमला देवी कडारी</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
मोटर मार्ग के लोस्तु-घण्डियाल-हैन्दू से रिगोली मोटर मार्ग परियोजना हेतु ०.११ हे० वन भूमि
लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव
माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं
है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक
उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उपवन प्रभाग नरैन्दनगर वनप्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत खेन्द्र से रिंगोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.99 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष


उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- देवप्रयाग

जनपद रिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु।


उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति







तहसील- देवप्रयाग

जनपद रिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम- लोह-घण्टियाल-हैन्दू से रिगोली मोरर मार्ग,

24/01/2015

दिनांक 27/01/2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद- टिहरी गढ़वाल

1	श्री दीपेन्द्र सिंह नेत्री	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	     
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	श्री राजीव सिंह- सचिव	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4	श्री श्री कमला देवी कन्हाय	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती
कमला देवी
श्रीमती कमला देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
रिगोली मल्ली व रिगोली तल्ली

परियोजना का नाम:- लोहू-घण्डियाल-होन्डू से रिगोली जोर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रिगोली तल्ली
तहसील जिला - टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में होन्डू से रिगोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ०.११ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिगोली तल्ली द्वारा दिनांक 21/11/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम होन्डू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Chauhan
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रिगोली तल्ली

ह०/-

ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



ग्राम पंचायत

ह0 / -
ग्राम प्रधान

